न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–03, गोण्डा।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–279/2026

नानमुन्ना लोध बनाम उ0प्र0 सरकार

मु0अ0सं0–95/2025,
धारा–310(2), 310(3), 317(2) बी0एन0एस0
थाना–उमरीबेगमगंज, जिला गोण्डा।

दिनांक–01.07.2026

पेश हुआ।

आवेदक नानमुन्ना लोध की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 3क पर बल दिया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी नानमुन्ना लोध पुत्र संगमलाल, निवासी सुरजन पाण्डेयपुरवा, थाना–उमरीबेगमगंज, जिला–गोण्डा की ओर से वास्ते गाड़ी रिलीज सम्बन्धित वाहन सं0–यू0पी0 43 ए0क्यू0 6347 इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थी वाहन सं0–यू0पी0 43 ए0क्यू0 6347 का पंजीकृत स्वामी है और उसके पास उक्त वाहन से सम्बन्धित वैध कागजात मौजूद है। उक्त वाहन को स्थानीय थाना उमरीबेगमगंज की पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में पंजीकृत तरीके से सीज़ कर स्थानीय थाने में खुले आसमान के नीचे खड़ा कर रखा है, जिससे उसके खराब होने व क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बनी हुयी है, जिससे प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक हानि होगी। प्रार्थी के वाहन का उक्त अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा उसके पास वाहन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक वैध दस्तावेज है। उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त वाहन को प्रार्थी के पक्ष में सुपुर्द करने की याचना की गयी है।

थाना कोतवाली उमरीबेगमगंज की आख्या के अनुसार अभियुक्त नानमुन्ना लोध द्वारा वाहन सं0–यू0पी0 43 ए0क्यू0 6347 सी0टी0 100 प्लेटिना थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 103/2025, धारा 109, 3(5) बी0एन0एस0 व धारा–3/25 आर्म्स एक्ट व घटना में प्रयुक्त वाहन मु0अ0सं0–95/2025, धारा–310(2), 310(3), 317(3) बी0एन0एस0 में दिनांक 09.05.2025 से थाना हाजा पर दाखिल होकर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त वाहन को अवमुक्त किये जाने का विरोध किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

थाना कोतवाली उमरीबेगमगंज, गोण्डा से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदक नानमुन्ना लोध की मोटर साइकिल बजाज सी0टी0 100 प्लेटिना UP43 AQ 6347 थाने पर दाखिल होकर थाना परिसर में खड़ी है। आवेदक ने अपने वाहन UP 43 AQ 6347 के स्वामित्व हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र दाखिल किया है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक नानमून पुत्र संगमलाल के नाम पंजीकृत है। वाहन का बीमा दाखिल नहीं किया गया है। चूंकि सम्बधित प्रकरण में समय लगना स्वाभाविक है तथा अन्य कोई वाहन का दावेदार नहीं है। जबकि उक्त वाहन के थाने पर खड़े रहने से उसके विनिष्ट होने की पूरी सम्भावना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ***सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य ए0आई0आर0***

Digitally signed by DANISH HASNAIN
Date: 2026.07.02 23:40:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2003 एस0सी0 638 के मामल में यह विनिर्दिष्ट रूप से समस्त दाण्डिक न्यायालय को यह निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार के वाहन को अनावश्यक लम्बी अवधि तक निष्प्रयोज्य नहीं रखा जाना चाहिए। उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पंजीकृत स्वामी अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से उसे बरामद किया गया है कि सुपुर्दगी में ऐसा वाहन दिया जाना चाहिए। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त के दृष्टिगत प्रश्नगत वाहन को आवेदक नानमुन्ना लोध पुत्र संगमलाल के पक्ष में निम्नलिखित शर्तो के अधीन रिलीज किया जाता है :–

1– प्रार्थी मु0 25,000/– (पच्चीस हजार रूपया मात्र) के व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा उसी धनराशि के एक प्रतिभू दाखिल करेगा।

2– प्रार्थी को इस बात की अण्डरटेकिंग देना होगा कि उक्त वाहन को बेचेंगा नहीं तथा उसके रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

3– वाहन को न्यायालय पर आहूत किये जाने पर अपने खर्चे व रिस्क पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

4– वाहन के समस्त प्रपत्रों की दो फोटो प्रतियां दाखिल करेगा।

उपरोक्त के आधार पर थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वाहन यदि किसी अन्य अपराध में वांछित न हो तो आवेदक के हक में अवमुक्त किया जाए।

(दानिश हसनैन)
J.O.Code UP 2727
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–3,
गोण्डा।

दिनांक–01.07.2026